

न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-01, झांसी।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०-574/2025

उ०प्र० राज्य बनाम सदाराम अहिरवार एवं अन्य

दिनांक-25.06.2026

पुकार कराने के बाद पत्रावली पेश हुई। केवल विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। उनको सुना व पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-01, झांसी द्वारा सत्र परीक्षण सं०-26/2021 सरकार बनाम सदाराम अहिरवार एवं अन्य अन्तर्गत धारा-304/34 भा०द०सं०, मु०अ०सं०-217/2020 थाना बडागांव जिला झांसी में पारित निर्णय दिनांकित 19.11.2024 के द्वारा अभियुक्तगण सदाराम अहिरवार एवं श्रीमती सुमन को अन्तर्गत धारा-304 सपठित धारा-34 भा०द०सं० के आरोप में अभियुक्तगण को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को मु०-5000/- 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिसके विरुद्ध अभियुक्त सदाराम अहिरवार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं-12828/2024 सदाराम अहिरवार बनाम राज्य उ०प्र० एवं अभियुक्ता श्रीमती सुमन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं०-59/2025 श्रीमती सुमन बनाम राज्य उ०प्र० दाखिल किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.11.2025 के अनुक्रम में अभियुक्तगण सदाराम अहिरवार व श्रीमती सुमन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा गया है।

लिपिक की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकीर्ण वाद को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसीलिये प्रकीर्ण वाद निस्तारित की जाती एवं आवश्यक कार्यवाही के बाद दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 25.06.2026

(आदित्य चतुर्वेदी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-01, झांसी।